

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 01, बुधवार, शके 1947- जुलाई 23, 2025 <i>Shravana 01, Wednesday, Saka 1947- July 23, 2025</i>	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

आदेश

जयपुर, जुलाई 23, 2025

संख्या F3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates'Exp./2023/3383 भारत निर्वाचन आयोग का निम्नांकित आदेश संख्या 76/राज-वि.सं./146/2023/सी.ई.एम.एस.-1, 18 जुलाई, 2025 सर्व साधारण के सूचनार्थ पुनः प्रकाशित किया जाता है।

नवीन महाजन,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली – 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

सं. 76/राज-वि.सं./146/2023/सीईएमएस-1

दिनांक: 18 जुलाई, 2025
27 आषाढ़, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/राज-वि.सं./2023 दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 के अनुसरण में 146-सिरोही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजस्थान विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान के 146-सिरोही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 03 दिसम्बर, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02 जनवरी, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से उनके दिनांक 16.01.2024 के पत्र सं. F3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, सिरोही की दिनांक 08.01.2024 की रिपोर्ट के अनुसार श्री

भंवर लाल, जो राजस्थान के 146-सिरोही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिरोही** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री भंवर लाल** को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/राज-वि.स./146/2023/सीईएसएस-1 दिनांक 28.02.2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत **श्री भंवर लाल** को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिरोही** जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान पत्र सं. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/489 दिनांक 27.01.2025 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिरोही** के पत्र दिनांक 25.01.2025 में सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री भंवर लाल** को दिनांक 16.04.2024 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सिरोही** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र दिनांक 26.12.2024 एवं पत्र दिनांक 27.05.2025 द्वारा अग्रेषित जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के पत्र क्रमशः सं. F.3(1)(5) EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/48 दिनांक 03.01.2025 एवं क्रमांक F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/2818 दिनांक 23.06.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि **श्री भंवर लाल** ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, **श्री भंवर लाल** ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री भंवर लाल** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि राजस्थान के 146-सिरोही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री भंवर लाल**, निवासी- नं. 66, **कलामो का मौहल्ला**, **बरेठा तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर, राजस्थान**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी

सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

राकेश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

श्री भंवर लाल,
मकान नं. 66, कलामो का मौहल्ला,
बरेठा तहसील रानीवाड़ा,
जिला जालोर, राजस्थान

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली - 110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

No. 76/RJ-
LA/146/2023/CEMS-I

Dated: 18th July, 2025
27 Ashadha, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **146-Sirohi** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India vide Notification No. **464/RJ-LA/2023**, dated **30th October, 2023**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **146-Sirohi** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on **3rd December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **02nd January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report dated 08.01.2024 of the **DEO, Sirohi** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, received through the CEO, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/433; dated 16.01.2024, stating that **Sh. Bhanwar Lal**, a contesting candidate from **146-Sirohi** Assembly Constituency of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Sirohi** a 'Show-Cause Notice' No. **76/RJ-LA/146/2023/CEMS-I**, dated **28th February, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Bhanwar Lal**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Bhanwar Lal**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Sirohi** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the CEO, Rajasthan vide his letter No. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/489, dated 27.01.2025 enclosing the District Election Officer's **Sirohi** letter dated 25.01.2025 reported that the 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Bhanwar Lal**, on **16.04.2024**; and

WHEREAS, the CEO, Rajasthan vide his letter No. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/48, dated 03.01.2025 and letter No. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp.2023/2818, dated 23.06.2025 forwarded the District Election Officer's **Sirohi** letter dated 26.12.2024 and dated 27.05.2025 respectively wherein it has been reported that **Sh. Bhanwar Lal**, has not submitted any representation of a statement of correct account of election expenses duly signed alongwith original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Bhanwar Lal**, has neither furnished any proper reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Bhanwar Lal** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the Peoples Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Bhanwar Lal**, resident of **No. 66, Kalamo ka Mouhalla, Baretha, Tehsil Raniwada, District Jalore, Rajasthan** and a contesting candidate from **146-Sirohi** Assembly Constituency of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

**RAKESH KUMAR
SECRETARY**

To,

Sh. Bhanwar Lal,
House No. 66, Kalamo ka Mouhalla,
Baretha, Tehsil Raniwada,
District Jalore, Rajasthan.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।